न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 131/2019

अनवान :

1. रोहिताश
2. भूपसिंह
3. पवन कुमार

} पुत्रान श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र श्री अर्जन जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल प्रतिवादी

2. सिलोचना
3. धापा

} पुत्रियान धर्मपाल जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा।

4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडू : वादीगण

निर्णय दिनांक : 18-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 52/55 के खसरा सं0 179 की 9.6240 है0, खसरा सं0 316 की 4.8440 है0, खसरा सं0 327 की 7.1580 है0, खसरा सं0 328 की 1.5680 है0, खसरा सं0 405 की 2.0230 है0 कुल 25.2170 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी दादालाई कृषि भूमि है। उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता अर्जन से विरासतन प्राप्त हुई है। उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते उपर वर्णित कृषि भूमि अ[illegible] प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। प्रतिवादी[illegible] सं0 2 व [illegible] अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा की कृषि भूमि अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 व भाईयां [illegible] के पक्ष में तर्क कर दी और प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा शुन्य कर लिया है। [illegible]र वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 2 व 3 का कोई [illegible] व हिस्सा शेष नहीं रह[illegible]स

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकार वाद कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल चारों बहिस्सा बराबर यानि 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार हो गए।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी रोहिताश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ता 6 प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रदर्श 3 सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण व प्रदर्श 4 फोटो प्रति प्रमाणिज जमाबन्दी खतौनी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2044 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा अर्जन वल्द भोलु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में धर्मपाल के वारिसान में पत्नी विद्यादेवी, तीन पुत्र रोहिताश, भूपसिंह, पवन कुमार व पुत्रियां सिलोचना व धापा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 52/55 के खसरा सं0 179 की 9.6240 है0, खसरा सं0 316 की 4.8440 है0, खसरा सं0 327 की 7.1580 है0, खसरा सं0 328 की 1.5680 है0, खसरा सं0 405 की 2.0230 है0 कुल 25.2170 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 131/2019

अनवान :

1. रोहिताश
2. भूपसिंह
3. पवन कुमार

} पुत्रान श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र श्री अर्जन जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल प्रतिवादी

2. सिलोचना
3. धापा

} पुत्रियान धर्मपाल जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा।

4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रामस्वरूप देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 52/55 के खसरा सं0 179 की 9.6240 है0, खसरा सं0 316 की 4.8440 है0, खसरा सं0 327 की 7.1580 है0, खसरा सं0 328 की 1.5680 है0, खसरा सं0 405 की 2.0230 है0 कुल 25.2170 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner